न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद स0–51/2015–16

मधुरेन्द्र कुमार **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
5.4.18	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद मधुरेन्द्र कुमार, पिता स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम–मनेर, थाना–मोकामा, जिला–पटना जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0 08/13 (रद्द) ने अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के आदेश ज्ञापांक 90(आ0) दिनांक 16.02.2016 के विरूद्ध बिहार फेयर प्राईज सोप ऑफ ऑडर–2007 की कंडिका–15 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2001 की कंडिका–11 के अंतर्गत दिनांक 26.03.2016 को दाखिल किया है। अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक 02.11.2017 को उभय पक्ष उपस्थित हुए। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर, वाद को प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय का अभिलेख मांगते हुए, सुनवाई की अगली तिथि 09.12.2017 निर्धारित की गई। दिनांक 05.01.2018 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। अपीलकर्ता ने अपने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ के ज्ञाप सं0 34 दिनांक 19.01.2016 द्वारा उनके विरूद्ध समर्पित जांच प्रतिवेदन में गठित आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग की गई। अपीलकर्ता ने उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में अपने दिनांक 30.01.2016 को प्रत्युत्तर अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के कार्यालय में दाखिल किया। जिसमें उन्होंने गठित आरोपों के सम्बन्ध में बिन्दुवार उत्तर दिया। उनका कहना है कि लाभुकों का कूपन भूलवश उनकी दुकान में छूट गया था। इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अपीलकर्ता (दुकानदार) द्वारा जानबूझ कर कूपन रख लिया गया। उन्होंने अंकित किया है कि भण्डार में खाद्यान्न कम होने का कारण यह था उस तिथि को बिक्री की गणना नहीं की गयी एवं जांच पदाधिकारी द्वारा भण्डार के प्रत्येक बोरा का वजन नहीं किया गया कि कौन सा बोरा में कितना खाद्यान्न है। अपीलकर्ता के विरूद्ध किसी लाभुकों को शिकायत नहीं है। उनका यह भी कथन है कि उनके द्वारा उन लाभुकों का बयान लेने का अनुरोध अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ से किया गया, जिनका कूपन में उनकी दुकान में पाया गया। इस पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया। अपीलकर्ता ने अपने आवेदन में यह भी अंकित किया है कि उन्हें स्पष्टीकरण के साथ जाँच पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कतिपय मामलों में पारित आदेश द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराए	

बिना अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने को अवैध करार दिया गया है। अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व बिक्रेता को नहीं सुना गया। जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। बिक्रेता (अपीलकर्ता) नियमित खाद्यान्न का उठाव कर, लाभुकों के बीच विभागीय निर्देश के अनुकूल वितरण करता है। अपीलकर्ता के जीवनयापन का एकमात्र साधन जन वितरण प्रणाली की दुकान है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि अपील वाद को स्वीकृत करते हुए, अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ के ज्ञापांक 90 दिनांक 16.02.2016 को निरस्त किया जाय।

दिनांक 16.03.2018 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तापूर्वक सुना। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए कहा गया कि उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी एवं उनके स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जो विधि सम्मत नहीं है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति को पुर्नबहाल करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक, पटना का कहना है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मोकामा एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलछी के साथ सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बाढ़ ने संयुक्त रूप से दिनांक 14.01.2016 को मधुरेन्द्र कुमार, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता, मोर पश्चिमी, अनुज्ञप्ति सं0 08/13 की दुकान का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पायी गई, अनियमितताओं के लिए प्रश्नगत बिक्रेता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत स्थानीय थाना मोकामा में प्राथमिकी दर्ज की गयी। जांच के क्रम में बिक्रेता के विरूद्ध निम्नांकित गम्भीर अनियमितायें पायी गयी :—

(1) बिक्रेता मधुरेन्द्र कुमार की दुकान में उपभोक्ताओं के पचीस कूपन पाया गया। जुलाई—15 से जून—16 तक के पाए गए, जो उपभोक्ताओं के पास रहने चाहिए।

(2) दुकान से सम्बन्धित भण्डार पंजी एवं बिक्री—पंजी का अद्यतन संधारण नहीं किया जाना।

(3) भण्डार के भौतिक सत्यापन में सात क्वींटल बीस किलो खाद्यान्न कम पाया गया।

उपरोक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में बिक्रेता द्वारा दिनांक 30.01.2016 को समर्पित स्पष्टीकरण में बिक्रेता द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवेदित अनियमितताँए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के प्रावधानों का उल्लघंन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय है। अपीलकर्ता ने अपने स्पष्टीकरण में जांच प्रतिवेदन में गठित आरोपों के सम्बन्ध में बिन्दुवार स्पष्टीकरण समर्पित किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जाँच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों की जानकारी उन्हें थी। जिसके आधार पर अनुज्ञप्ति सं0 08/13 रद्द की गयी है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि यद्यपि अपीलकर्ता को जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराए जाने का साक्ष्य

नहीं है। परन्तु, उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में जांच प्रतिवेदन में लगाए गए आरोपों के अनुरूप ही बिन्दुवार विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उपभोक्ताओं का कूपन उनकी दुकान में छुट जाने का उनका तर्क निराधार है। भंडार में खाद्यान्न की कमी के सम्बन्ध में उनका तर्क भी तथ्य से परे है, क्योंकि सत्यापन उनके समक्ष किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि उन्होंने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के क्रम में पूर्व में अनुमंडल पदाधिकारी से कभी जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि की माँग भी नहीं की।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ ने अपीलकर्ता के विरूद्ध गठित आरोपों एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के विचारण के पश्चात् ज्ञापांक 90(आ0) दिनांक 16.02.2016 द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश सुविचारित एवं मुखर है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

5/11/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

5/11/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।